सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन

Court of Chief Commissioner for Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
Ministry of Social Justice & Empowerment
निःशक्तता कार्य विभाग / Department of Disability Affairs

केस संख्या : 21/1134/12-13 **दिनांक :01.01.2014**

के मामले मेः-

श्री नरेन्द्र कुमार चौहान,
वार्ड सं. 14, नायकों का मौहल्ला,
बिसाऊ - 331027, जिला - झुंझनू,
(राजस्थान) ..... शिकायतकर्ता

बनाम

पंजाब नेशनल बैंक,
द्वाराः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
प्रधान कार्यालय,
7, भीकाजी कामा पैलेस,
नई दिल्ली ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः-18.11.2013

उपस्थितः

1. मदन लाल चौहान,वरिष्ठ प्रबन्धक प्रतिवादी की ओर से ।
2. शिकायतकर्ता की ओर से कोई नहीं ।

कार्यवाहियों का अभिलेख

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, जोकि 40% अस्थिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रताड़ित करने से संबंधित शिकायत दिनांक 04.03.2013 प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने दिनांक 31.04.2004 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु पंजाब नेशनल बैंक, बिसाऊ शाखा राजस्थान से 63,500/- रुपए का ऋण लिया था, जिसका भुगतान योजनानुसार 8 से 10 वर्षों में करना था । बैंक ने ऋण देते समय उनसे 100 खाली चैक हस्ताक्षर युक्त गारन्टी के रूप में लिए थे । उन्होंने बैंक में 10,000/- रुपए मारजिन

.....2/-

मनी पहले ही जमा कर दी थी । उसने 18 माह तक 1,500/- रुपए की किस्ते निरन्तर जमा की। लेकिन परिवार की दयनीय स्थिति के कारण 3-4 किस्ते समय पर नहीं चुका सका। बैंक के निजी अधिवक्ता ने उनके गिरवी रखे चैक पर 25,000/- रुपए लिखकर उनके बचत खाते में डाल दिया जो बाउन्स हो गया । वर्ष 2006 में बैंक द्वारा उन पर फौजदारी मुकदमा कर दिया गया और उन्हें सजा भी हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2007 में पुनः दूसरा चैक 52,000/- रुपए का उनके खाते में डाल दिया जिसका मुकदमा ए.सी.जे.एम के. न्यायालय में चल रहा है । उनकी आय इतनी नहीं है कि वे ऋण का भुगतान एकमुश्त राशि के रूप में कर सकें ।

3. मामला अधिनियम की धारा 59 के अधीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, 7, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 07.05.2013 द्वारा उठाया गया ।

4. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, ग्राहक सेवा, नई दिल्ली ने अपने पत्र कंमांक ग्रा.सु.के. 1519/13 दिनांक 30.05.2013 के द्वारा सूचित किया कि मामले को उनके मंडल कार्यालय श्री गंगा नगर से उठाए जाने पर उन्होंने अवगत कराया है कि शाखा बिसाउ के द्वारा दिनांक 31.04.2004 को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत 63,500/- रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसका पुर्न भुगतान अप्रैल, 2004 से 1400/- रुपए की 60 मासिक किस्तों में मय ब्याज किया जाना था । शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 04.03.2004, 02.04.2004, 12.05.2004, 30.06.2004, 20.09.2004 व 05.03.2005 को 1500/- रुपए की किस्त जमा करवायी गई तथा तत्पश्चात् दिनांक 28.01.2008 को 1500/- रुपए की किस्त जमा करवाई गई । इसके अतिरिक्त ऋण खाते में कोई राशि जमा नहीं करवायी गई । शिकायतकर्ता को तत्पश्चात् ऋण खाते से वसूली की प्रक्रिया के अन्तर्गत शाखा द्वारा नोटिस भिजवाए गए तथा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा ऋण अदायगी हेतु अनुरोध किया गया । इस प्रकार शाखा स्तर पर ऋण की राशि जमा हेतु पर्याप्त समय दिया गया व राशी जमा न करने की स्थिति में कार्यवाही की जानकारी दी गई । शिकायतकर्ता से राशि की वसूली हेतु निरन्तर अनुरोध के उपरान्त ऋण अदायगी न करने पर विनिमय साध्य विलेख की धारा 138 के अन्तर्गत बैंक नियमानुसार कार्यवाही की गई एवं माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझनु द्वारा दिनांक 10.01.2012 को अर्थ दण्ड व साधरण कारावास का निर्णय दिया गया । शिकायतकर्ता के विरुद्ध बैंक के ऋण वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की गई है जिसका उद्देश्य वस्तुतः किसी भी तरह या किसी भी रूप में निःशक्तजन को परेशान या प्रताड़ित करना नहीं था ।

5. प्रतिवादी से प्राप्त पत्र कंमांक ग्रा.सु.के. 1519/13 दिनांक 30.05.2013 की प्रति शिकायतकर्ता के टिप्पण हेतु इस न्यायालय के पत्र दिनांक 21.06.2013 द्वारा भेजी गई थी ।

6. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 01.07.2013 द्वारा कहा कि प्रबंधक के अनुसार उन्हें 1400/- रुपए प्रति माह के रूप में 60 किस्ते चुकानी थी जिसकी अवधि 5 वर्ष थी । जबकि बैंक ने विनिमय साध्य विलेख की धारा 138 के तहत चैक संख्या 383152 दिनांक 30.05.2006 राशि

25000/- रुपए बाउन्स करवा कर उन्हें 2 वर्ष की सजा करवाई गई । उनके अनुसार यह प्रतिभूति अनुबन्ध् अधिनियम, 1821 की धारा 147 के विरुद्ध है । शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि उन्होंने 2500/- रुपए मार्जिन मनी के रूप में जमा करवाए थे जिसका बैंक द्वारा कहीं वर्णन नहीं किया गया । हालांकि उन्होंने दिनांक 28.01.2008 को पुनः किस्ते जमा करना प्रारंभ कर दिया था एवं प्रबंधक शाखा बिसाऊ से प्रार्थना की थी कि उक्त केस को वापस लिया जाए वह मूल ऋण को दो या तीन किस्तों में वापस चुका देगा । लेकिन उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर 52000/- रुपए का दूसरा चैक सं. 383153 उनके खाते में डालकर बाउन्स करवा दिया गया जिसका मामला सी.जे.एम. न्यायालय, झुन्झनु में विचाराधीन है । शिकायतकर्ता का कहना है कि बैंक के पास रखे उनके रिक्त चैकों को बैंक द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है जोकि प्रतिभूति अनुबन्ध अधिनियम, 1821 के प्रावधानों के विरुद्ध है ।

7. प्रतिवादी के उत्तर दिनांक 30.05.2013 एवं शिकायतकर्ता के टिप्पण दिनांक 01.07.2013 के मद्देनजर मामला सुनवाई के लिए दिनांक 18.11.20133 को नियत किया गया ।

8. दिनांक 18.11.2013 को सुनवाई के दौरान श्री मदन लाल चौहान, वरिष्ठ प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, बिसाउ, जिला झुंझनु (राजस्थान) ने 18.11.2013 के विस्तृत लिखित कथन प्रस्तुत किए । उक्त कथनों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दिनांक 09.09.2013 को समझौता करने के लिए संपर्क कर 45,000/- रुपए में ऋण खाते में समझौता से समायोजित करने हेतु पत्र दिया और 45,000/- रुपए जमा करवाए । अंत में, 61,016/- रुपए की ब्याज की छूट देते हुए समझौता दिनांक 19.09.2013 को सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सर्किल आफिस, श्री गंगानगर द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा प्रार्थी को भी दिनांक 28.10.2013 को ऋण खाता बन्द होने का पत्र दे दिया गया था । अतः शिकायतकर्ता की शिकायत विद्यमान नहीं रहती क्योंकि उसका मियादी ऋण खाता समझौते के तहत दिनांक 24.09.2013 को बन्द हो गया है । उन्होंने शिकायतकर्ता से उनका ऋण खाता बन्द होने की रसीद प्रस्तुत की । शिकायतकर्ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझनु के आदेश दिनांक 10.01.2012 के विरुद्ध अपील फाइल की थी, जिसके द्वारा शिकायतकर्ता को एक वर्ष की साधारण सजा और 30,000/- रुपए का जुर्माना किया गया था । बैंक ने मामले को वापस लेने की अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसके परिणामस्वरूप अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश कार्यान्वित नहीं किया जाएगा । उन्होंने यह भी कहा कि बैंक द्वारा फाइल एक अन्य मामले में बैंक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझनु के न्यायालय से दिनांक 19.11.2013 को वापस लेने का विनिश्चय किया है ।

9. उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि बैंक ऋण की किस्त की अदायगी के लिए किसी ग्राहक से खाली चैक नहीं लेता है बल्कि बैंक ग्राहक से दिनांक, राशि एवं अदायगीकर्ता का नाम भरे हुए चैक स्वीकार करता है । बैंक द्वारा 25,000/- रुपए अथवा अन्य राशि का चैक जमा कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । शिकायतकर्ता ने स्वयं ही 25,000/- रुपए का चैक जमा किया था । उन्होंने आगे स्पष्ट किया

कि शिकायतकर्ता से किसी प्रकार के खाली चैक नहीं लिए गए थे । वस्तुतः, फाइल सहित बैंक के अभिलेख के अनुसार अभिलेख में कोई चैक उपलब्ध नहीं है ।

10. मामले के उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामला बन्द किया जाता है । तदनुसार निपटारा किया जाता है ।

हस्त/-

(पी. के. पिन्चा)
मुख्य आयुक्त (निःशक्तजन)